

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक-

पटना, दिनांक-.....2017

प्रेषक:

अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषय:- मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत मधुबनी एवं भागलपुर जिला के रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को साज-सज्जा, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण एवं कार्यालय व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए ₹ 227.75 लाख (दो करोड़ सताईस लाख पचहत्तर हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मधुबनी एवं भागलपुर जिला के रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को साज-सज्जा, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण एवं कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः ₹ 198.15 (एक करोड़ अनठान्वे लाख पन्द्रह हजार) एवं अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना हेतु ₹ 29.60 (उनतीस लाख साठ हजार) अर्थात् कुल राशि ₹ 227.75 लाख (दो करोड़ सताईस लाख पचहत्तर हजार) (संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार) व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान करने की कृपा की है।

2. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या-23, उप शीर्ष-0103-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य, 52 01 मशीनें एवं उपस्कर, 33 01 सब्सिडी एवं 13 01 कार्यालय व्यय मद से उपबंधित राशि में से क्रमशः ₹ 48.00 (अरतालीस लाख), ₹ 112.50 (एक करोड़ बारह लाख पचास हजार), ₹ 37.50 (सैतीस लाख पचास हजार) एवं ₹ 0.15 (पन्द्रह हजार) अर्थात् कुल ₹ 198.15 (एक करोड़ अनठान्वे लाख पन्द्रह हजार) विकलित होगा। जिसके लिए आय-व्ययक वर्ष 2016-17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

राशि मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-23, उप शीर्ष-0104-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851007890104, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद से उपबंधित राशि में से ₹ 29.60 (उनतीस लाख साठ हजार) विकलित होगा।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561 वि०(2) दि०-17.04.98 के कंडिका-02 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

4. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं० 2005 दिनांक-20.04.12 तथा हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक-1491 दिनांक-10.09.13 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया तथा रंगरेज आर्टिजन को शामिल करने हेतु निर्गत संकल्प सं०-1153 दि०-24.06.15 एवं योजना के कार्यान्वयन में पुरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहित प्रपत्र में BTC-42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7. यह राज्यादेश संचिक संख्या:-ह0क0(10)विविध-20/2016 के पृष्ठ 45/टि0 पर दिनांक-10.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या-40/OSD दिनांक-10.03.2017 है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।  
अनुलग्नक-व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित, जिला कोषागार, भागलपुर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मधुबनी/उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 15/03/2017

ज्ञापांक-

964

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत भागलपुर एवं मधुबनी जिला के रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को रंगाई का साज-सज्जा कॉर्पस तथा कर्मशाला निर्माण।  
(वित्तीय वर्ष-2016-17)

परिशिष्ट-I

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा०/निकासी एवं व्ययन पदा०	रंगाई का साज-सज्जा क्रय करने हेतु			मार्जिन मनी			कर्मशाला निर्माण					कार्यालय व्यय राशि	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागा का ना
			भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)					
					शीर्ष 5201 मशीने एवं उपस्कर			3301 सब्सिडी लघु शीर्ष			शीर्ष 2701 लघु कार्य					
			सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	103 हस्तकरघा उद्योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	103 हस्त० उद्योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	103 हस्त० उद्योग	789 अनु० जाति के विशेष घटक योजना	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	भागलपुर	उप विकास पदा० (वस्त्र)	300	150	67.50	300	150	22.50	80	44	32	17.60	49.60	0.10	139.70	भागलपुर
2.	मधुबनी	महाप्रबंधक जि०उ०के०, पटना	200	100	45.00	200	100	15.00	40	30	16	12.00	28.00	0.05	88.05	मधुबनी
कुल राशि			500	250	112.50	500	250	37.50	120	74	48.00	29.60	77.60	0.15	227.75	

कुल राशि-227.75 (दो करोड़ सताईस लाख पचहत्तर हजार) रूपये।

103- हथकरघा उद्योग

विषय शीर्ष -	राशि
5201-मशीने एवं उपस्कर-	112.50
3301- सब्सिडी-	37.50
2701-लघु कार्य-	48.00
1301-कार्यालय व्यय	0.15
	198.15
789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना	
विषय शीर्ष -	राशि
2701-लघु कार्य-	29.60

*(Handwritten Signature)*  
अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।